<u>पैनल हेतु आवेदन (आरएफई)</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची को 01 जुलाई 2026 – 31 मार्च 2029 की अवधि हेतु कार/ वाहन उपलब्ध कराने के लिए कार हायरिंग एजेंसियों का पैनल तैयार करना

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची (इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा), ने यह दस्तावेज़ इच्छुक पक्षों को पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए तैयार किया है, ताकि वे आवश्यकता/जरूरत के आधार पर बैंक को कारों/वाहनों की आपूर्ति हेतु कार किराया एजेंसियों/कंपनियों के सूचीकरण के लिए बोली लगा सकें, एजेंसी के संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन, यह पैनल तीन वर्ष की अवधि अर्थात 01 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2029 तक के लिए मान्य रहेगा।

बैंक आवेदन इस प्रयोजन से आमंत्रित करता है ताकि कार किराया एजेंसियाँ **पैनल तैयार करने** की प्रक्रिया में भाग ले सकें। संविदा की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें तथा कार्य का विस्तृत दायरा खंड II.1 तथा खंड II.2 में उल्लिखित है। संविदा का अनुमानित मूल्य ₹50.00 लाख प्रति वर्ष है।

जो एजेंसियाँ पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं तथा इस दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का पालन करने हेतु सहमत हैं, वे निर्धारित प्रपत्र, **अनुबंध I** में, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रथम तल, ज़िला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची (झारखंड) को संबोधित विधिवत भरे हुए आवेदन आवश्यक संलग्नकों सहित मुहरबंद लिफाफे, जिसके ऊपर '**कार/ वाहन उपलब्ध कराने के लिए कार हायरिंग एजेंसियों के पैनल के लिए आवेदन**' अंकित हो, आबंटन डेस्क, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रथम तल, ज़िला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची (झारखंड) **में 04 जून 2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें।**

बैंक के पास, बिना कोई कारण बताए, किसी भी आवेदन को स्वीकार करने अथवा प्राप्त किसी अथवा सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

पैनल तैयार करने की प्रक्रिया संबन्धित समय-सारणी

1. आवेदन का माध्यम	केवल मुहरबंद लिफाफे में
2. आवेदन आमंत्रण सूचना की तिथि	07 मई 2026
3. भारतीय रिज़र्व बैंक वेबसाइट से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करने की प्रारंभिक तिथि	07 मई 2026
4. आवेदन-पूर्व प्रस्तुतीकरण बैठक की तिथि	13 मई 2026

5. भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	04 जून 2026, सायं 15.00 बजे तक
6. मुहरबंद आवेदनों को खोलने की तिथि	04 जून 2026, सायं 16.00 बजे

खंड I: बोलीदाताओं के लिए सामान्य अनुदेश

I. पात्रता मानदंड

1.1 एजेंसी अत्यंत प्रतिष्ठित एवं सक्षम कार किराया एजेंसी होनी चाहिए।

1.2 वाहनों की बुकिंग में प्रभावी समन्वय तथा अत्यल्प सूचना पर भी वाहनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एजेंसी का कार्यालय एवं प्रतिष्ठान राँची में होना चाहिए। (राँची में अपना कार्यालय होने का दस्तावेज़ी प्रमाण मुहरबंद लिफाफे में आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाए।)

1.3 एजेंसियों का विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2022-23, 2023-24, 2024-2025 का वार्षिक औसत कारोबार ₹50 लाख प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिए; अपेक्षित दस्तावेज़ी प्रमाण मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

1.4 इच्छुक एजेंसी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के दौरान (अर्थात 31 मार्च, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) समान कार्य सफलतापूर्वक संपादित किए हों। ये कार्य निम्नलिखित में से कोई होने चाहिए:

i) न्यूनतम तीन समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर अर्थात ₹20/- लाख प्रति कार्य से कम न हो
अथवा
ii) न्यूनतम दो समान कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर अर्थात ₹25/- लाख प्रति कार्य से कम न हो
अथवा
iii) न्यूनतम एक समान कार्य, जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर अर्थात ₹40/- लाख से कम न हो।

टिप्पणी: "समान कार्य" का अर्थ है सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/उपक्रम/बहुराष्ट्रीय कंपनियों/प्रतिष्ठित निजी संगठनों को संविदात्मक आधार पर कार किराए पर उपलब्ध कराना (इसके समर्थन में दस्तावेज़ी प्रमाण, जैसे संस्थानों से अनुभव प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।

1.5 एजेंसी के पास, एजेंसी के स्वामित्व में अथवा उसके निपटान में, न्यूनतम 10 (दस) कारों का बेड़ा होना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित कारें शामिल हों, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं हो:

मध्यम श्रेणी सेडान	उच्च श्रेणी सेडान	एसयूवी	15-25 सीटर
डिज़ायर/ एटियोस/ ऑरा/ या समान कारें	होंडा सिटी/ वेर्ना/ स्कोडा स्लाविया या समान कारें	इनोवा क्रिस्टा, इनोवा, हाईक्रॉस/ या समान कारें	टेम्पो ट्रैवलर या समतुल्य

(पंजीकरण प्रमाण-पत्रों/पुस्तिकाओं की प्रतियाँ संलग्न करें)। एजेंसी के निपटान में बताई गई कारों के मामले में, बोलीदाता को आरसी की प्रतियों के साथ संबंधित दस्तावेज़ (कार स्वामियों के साथ करार) प्रस्तुत करने होंगे तथा ऐसे प्रलेखन की पर्याप्तता एवं पात्रता मानदंडों के अंतर्गत ऐसे वाहनों की स्वीकार्यता पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा। वाहनों के पास वैध टैक्सी परमिट होने चाहिए तथा वे वाणिज्यिक वाहनों के रूप में भी पंजीकृत होने चाहिए।

1.6 एजेंसी को ऐसे वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए जिनके पास वैध कार/ टैक्सी परमिट (स्थानीय एवं अखिल भारतीय) हों, जो आरटीओ के पास वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत हों, तथा अन्य सांविधिक मंजूरियाँ प्राप्त हों। एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि करार की अवधि के दौरान उपलब्ध कराए गए वाहन पंजीकृत हों तथा समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुरूप हों (अपेक्षित दस्तावेज़ी प्रमाण मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाने चाहिए) ।

1.7 एजेंसियों के पास टूर एवं ट्रैवल सेवा संचालित करने हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र होना चाहिए। सेवा प्रदाता द्वारा बैंक के अतिथियों/अधिकारियों की ड्यूटी के लिए तैनात की जाने वाली सभी कारें वाणिज्यिक प्रकृति की होनी चाहिए, अर्थात वे आरटीओ के पास वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए। ऐसे वाहनों की सूची **अनुबंध - III** के अनुसार प्रस्तुत की जानी है।

1.8 एजेंसियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि कारों के पास आरसी बुक सहित, बीमा, रोड टैक्स, उत्सर्जन परीक्षण आदि वैध दस्तावेज़ हों तथा चालकों के पास आरटीओ दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं का वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, और बैंक को उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन सड़क पर चलने योग्य स्थिति में हों।

1.9 एजेंसी के पास सभी लागू कर पंजीकरण (अर्थात पैन, टिन, जीएसटीआईएन आदि) होने चाहिए, जिनके समर्थन में दस्तावेज़ी प्रमाण मुहरबंद लिफाफे में आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

1.10 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रभावी भुगतान हेतु एजेंसी का किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में चालू खाता होना चाहिए।

1.11 इच्छुक एजेंसी द्वारा पात्रता मानदंडों की पूर्ति के संबंध में बैंक को संतुष्ट न कर पाने तथा नियमों एवं शर्तों से विचलन वाले सूचीकरण की स्थिति में, बैंक द्वारा उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है, और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी.

टिप्पणी: दस्तावेज़ी प्रमाण मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

II. नियम एवं शर्तें:

सूचीकरण प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा बैंक द्वारा की जाएगी तथा जो आवेदक दस्तावेज़ में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें दर अनुरोध जारी किया जाएगा। पात्र विक्रेताओं को बोली के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में सूचीकरण मूल्य की 2% राशि बयाना जमा (ईएमडी) के रूप में जमा करनी होगी। ईएमडी के बिना बोलियाँ वैध नहीं मानी जाएँ गी तथा अस्वीकार कर दी जाएँगी। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी, सफल बोली के लिए वार्षिक संविदा के 7 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी। जो बोलीदाता अपनी प्रतिबद्धता/ दर का सम्मान नहीं करते हैं, उनके मामले में, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची, अपने विवेक से, बिना किसी कारण के ऐसे बोलीदाता की ईएमडी की राशि जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

1. कार्य का दायरा

बैंक सूचीबद्ध एजेंसियों से, वर्ष के दौरान अपेक्षित व्यापक आवश्यकताएँ को निर्दिष्ट करने वाली एक सांकेतिक सूची के आधार पर, आवश्यकता/जरूरत के आधार पर बैंक को कारों/वाहनों की आपूर्ति हेतु 'दर अनुरोध' जारी करेगा। यह दर अनुरोध ई-प्रापण हेतु एमएसटीसी पोर्टल पर (केवल ऑनलाइन) जारी किया जाएगा। सूचीबद्ध एजेंसियों के लिए एमएसटीसी पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कराना आवश्यक है। बैंक एक अथवा अधिक ऐसी एजेंसियों के साथ वार्षिक संविदा करेगा, जो वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत न्यूनतम दर प्रस्तुत करती हैं। एजेंसी, बैंक के राँची कार्यालय द्वारा वर्ष के दौरान समय-समय पर जारी वस्तु-सूची के आधार पर, सहमत छूट पर, निर्धारित समय पर तथा निर्दिष्ट स्थान पर कारों/वाहनों की आपूर्ति करेगी। यह उल्लेखनीय है कि बैंक वाहनों की अपनी सभी आवश्यकताएँ केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले विक्रेता से ही प्राप्त करने हेतु बाध्य नहीं है। बैंक के पास अपनी खरीद को दो अथवा अधिक विक्रेताओं के बीच विभाजित/बांटने का अधिकार भी सुरक्षित है। बैंक के पास, बिना कोई कारण बताए, प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा किसी अथवा सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

2. मूल्य निर्धारण

उद्धृत दरें निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए:

1. उद्धृत सेवा शुल्क में बीमा शुल्क, वर्दी शुल्क तथा केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथालागू वर्तमान अथवा भविष्य में आरोपित किए जाने वाले अन्य कोई शुल्क/उपकर शामिल हैं, जिनके लिए कोई अलग दावा नहीं किया जाएगा। उद्धृत सेवा शुल्क में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) शामिल नहीं होगा। विधि के अनुसार, स्रोत पर यथालागू कर काटे जा सकते हैं तथा कृपया उसके लिए प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।
2. गैरेज एवं पिकअप स्थल तथा वापस गैरेज तक के संबंध में दावा की जाने वाली अधिकतम दूरी 5 कि.मी. तक सीमित रहेगी।
3. हवाई अड्डे पर ड्रॉप/पिकअप, रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप/पिकअप तथा अन्य मामलों (राज्य के भीतर/पड़ोसी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की बाहर-स्थान यात्रा) में, रसीदें प्रस्तुत किए जाने पर, पार्किंग शुल्क, टोल शुल्क तथा अंतर-राज्यीय परमिट का शुल्क लिया जाएगा।

4. एजेंसियों द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उद्धृत न्यूनतम दरें अन्य सभी एजेंसियों पर लागू होंगी।
5. मूल रसीद प्रस्तुत किए जाने पर टोल कर एवं पार्किंग शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
6. 200 कि.मी. से अधिक की यात्रा अथवा राँची के बाहर की यात्रा को बाहर-स्थान (आउटस्टेशन) माना जाएगा।
7. यदि विक्रेता टैक्सी का कोई अन्य मेक अथवा मॉडल उपलब्ध कराने में सक्षम है, तो उसे प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत शुल्कों के साथ शामिल किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, यदि एजेंसी, चाहे स्वयं अथवा बैंक के अनुरोध पर, कार का कोई उच्चतर मेक अथवा मॉडल उपलब्ध कराती है, तो उसे बैंक द्वारा अनुरोध किए गए वाहन के लिए अनुमोदित दरों के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा।
8. उपर्युक्त उद्धृत शुल्कों में "संविदा की विशिष्ट शर्त" (खंड III) में उल्लिखित मदों की लागत भी शामिल है, जैसे कम से कम एक राष्ट्रीय अथवा स्थानीय अंग्रेज़ी/हिंदी समाचार-पत्र, प्रतिष्ठित ब्रांड (बेली, बिसलेरी) की दो 500 मि.ली. पानी की बोतलें, टिशू पेपर (पाउच में फेस टिशू पेपर), छाता, अग्निशामक यंत्र तथा वाहन में प्राथमिक चिकित्सा पेटी।

3. निष्पादन बैंक गारंटी

आरएफक्यू (दर अनुरोध) में निर्दिष्ट अनुसार, बैंक के साथ वार्षिक संविदा करते समय, एजेंसी को निष्पादन बैंक गारंटी, "क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची" के पक्ष में, किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी 18 माह के लिए वैध बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। निष्पादन प्रतिभूति पर देय ब्याज, यदि कोई हो, के संबंध में बैंक (क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची) के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

निष्पादन गारंटी संविदा की वैधता से छह माह आगे तक वैध बनी रहनी चाहिए। यदि इस संविदा के अनुसरण में प्रदान की गई सेवाएँ बाद में गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं, तो निष्पादन प्रतिभूति की राशि जब्त की जा सकती है। निष्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित स्थितियों में भी जब्त की जा सकती है, यदि अधिकृत एजेंसी:

i) संविदा की शर्तों का पालन करने में विफल रहती है, अथवा
ii) वाहन उपलब्ध कराने में विलंब करती है।
iii) अधिक शुल्क लेती है।

4. बयाना धनराशि (ईएमडी)

क) सूचीबद्ध विक्रेताओं, को मूल्य-बोली में भाग लेते समय, **अपेक्षित वार्षिक प्रापण के 2% के बराबर राशि बयाना धनराशि (ईएमडी) के रूप में** जमा करनी होगी, जिसे एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची के बैंक खाते में प्रेषित किया जाएगा (खाता सं. 186003001, IFSC: RBIS0RNPA01 (IFSC में पाँचवाँ एवं दसवाँ वर्ण शून्य है)

ख) मूल्य-बोली प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात सभी असफल आवेदकों को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

ग) यदि कार्य आबंटित होने पर, सूचीबद्ध एजेंसी 7 दिनों के भीतर कार्य आरंभ करने में विफल रहती है, तो ईएमडी जब्त की जा सकती है तथा ऐसा आवेदक दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी भावी सूचीकरण में भाग लेने अथवा बैंक में कोई कार्य करने से वर्जित किया जा सकता है। तथापि, ऐसे आवेदक को वर्जित करने से पूर्व, बैंक नोटिस देगा तथा बोलीदाता द्वारा दिए गए उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

5. संविदा की अवधि:

क) एजेंसी के संतोषजनक कार्यनिष्पादन की बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा के अधीन, सूचीकरण 31 मार्च, 2029 तक वैध रहेगा।

ख) एजेंसी के संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन, संविदा की अवधि एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी। बैंक की प्रशासनिक सुविधा एवं आवश्यकताओं के अधीन, संविदा की अवधि के विस्तार पर विचार किया जा सकता है।

ग) वार्षिक संविदा के संबंध में, संविदा की अंतिम तिथि तक संविदा के आधार पर आपूर्ति आदेश दिए जाएँगे। समापन तिथि को भी प्राप्त आदेशों का सम्मान संविदा की शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए, भले ही वाहनों की आपूर्ति की तिथि पर संविदा की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी हो।

6. पात्रता स्थापित करने वाले दस्तावेज़

1. अनुबंध । - 01 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2029 की अवधि के लिए कार किराया एजेंसियों/कंपनियों के सूचीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र
2. अनुबंध - IA - विगत 5 वर्षों के दौरान एजेंसी द्वारा संपादित समान कार्यों की सूची
3. अनुबंध IB - किसी अनुसूचित बैंक से बैंकर प्रमाण-पत्र का प्रपत्र
4. अनुबंध II - बैंकरों का विवरण
5. अनुबंध III - बेड़े में शामिल वाहनों की सूची
6. अनुबंध IV - कार उपलब्ध कराने वाली फर्म/एजेंसी/कंपनी के निष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण-पत्र
7. प्रपत्र 1 - कार हायर फीडबैक प्रपत्र।
8. लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण ***वि.व. 2022-23, वि.व. 2023-24 तथा वि.व. 2024-25 के लिए (यथालागू)।***
9. विगत तीन वित्तीय वर्षों के आयकर विवरणी अर्थात ***वि.व. 2022-23, वि.व. 2023-24 तथा वि.व. 2024-25 (यथालागू)।***
10. फर्मों के निगमन दस्तावेज़
11. जहाँ भी लागू हो, पैन, टिन तथा जीएसटी पंजीकरण की प्रति
12. कारों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र
13. दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम में एजेंसी की मुहर सहित मुख्तारनामा/प्राधिकार।
14. खंड II के पैरा 4 में उल्लिखित स्व-घोषणाएँ।
15. कोई अन्य दस्तावेज़ (कृपया निर्दिष्ट करें)

बैंक के पास प्रमाण मंगाने/प्रस्तुत की गई सूचना का सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित है।

7. आवेदन की प्रक्रिया

इस दस्तावेज़ के सभी पृष्ठों पर नीचे मुहर सहित हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा सभी निर्दिष्ट दस्तावेज़ संलग्न करते हुए विधिवत भरे हुए आवेदन प्रपत्र के साथ भेजे जाने चाहिए। पात्र एजेंसियाँ बंद एवं मुहरबंद लिफाफों में, जिनके ऊपर **'कार/ वाहन उपलब्ध कराने के लिए कार हायरिंग एजेंसियों के पैनल के लिए आवेदन'** अंकित हो, उपर्युक्त मद सं. 6 में दर्शाए अनुसार दस्तावेज़ों की प्रतियों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, प्रथम तल, ज़िला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची (झारखंड) को संबोधित किए जाने चाहिए तथा इस प्रयोजन हेतु इस कार्यालय में रखे गए सूचीकरण बॉक्स में **04 जून 2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक** डाले जाने चाहिए।

एजेंसी यह सुनिश्चित करने हेतु ज़िम्मेदार होगी कि उसका आवेदन उपर्युक्त सूचीकरण बॉक्स में नियत तिथि एवं समय पर अथवा उससे पूर्व जमा हो जाए। डाक में विलंब अथवा पारगमन में विलंब सहित किसी भी कारण से निर्दिष्ट तिथि एवं समय के भीतर आवेदन प्राप्त न होने के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं है। आरएफई दस्तावेज़ की तैयारी से संबंधित सभी लागतें आवेदक द्वारा वहन की जाएँगी।

8. किसी अथवा सभी आवेदनों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार

नियत तिथि एवं समय के बाद प्राप्त अथवा किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं। बैंक के पास, बिना कोई कारण बताए, किसी अथवा सभी आवेदनों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक के पास, बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय पैनल को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में बैंक का निर्णय बाध्यकारी एवं अंतिम होगा। क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची को बैंक के हित में, अपने विवेक से, इस दस्तावेज़ की किसी भी अपेक्षा को यथोचित रूप से संशोधित/परिवर्तित करने का अधिकार है। इस संबंध में बैंक/क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

9. स्वीकृति की सूचना

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची/बैंक एक पत्र के माध्यम से आवेदन की स्वीकृति की सूचना देंगे।

10. निषिद्ध व्यवहार

10.1 बैंक की अपेक्षा है कि उसके साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखने वाले आवेदक संविदा/संलग्नता की अवधि के दौरान आचार-नीति के उच्चतम मानदंडों का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक:

(क) इस उपबंध के प्रयोजनार्थ, नीचे दिए गए शब्दों को निषिद्ध व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है:

(i) “भ्रष्ट व्यवहार” का अर्थ है किसी अन्य पक्ष की कार्रवाइयों को अनुचित रूप से प्रभावित करने हेतु, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी मूल्य की वस्तु का प्रस्ताव करना, देना, प्राप्त करना अथवा माँगना।

(ii) “कपटपूर्ण व्यवहार” का अर्थ है कोई कार्य अथवा चूक, जिसमें मिथ्या प्रस्तुति भी शामिल है, जो जानबूझकर अथवा लापरवाहीपूर्वक किसी पक्ष को वित्तीय अथवा अन्य लाभ प्राप्त करने अथवा किसी दायित्व से बचने के लिए गुमराह करता है अथवा गुमराह करने का प्रयास करता है।

(iii) “बलपूर्वक व्यवहार” का अर्थ है किसी पक्ष की कार्रवाइयों को अनुचित रूप से प्रभावित करने हेतु, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, किसी पक्ष अथवा उसकी संपत्ति को क्षति अथवा हानि पहुँचाना, अथवा क्षति या हानि पहुँचाने की धमकी देना; तथा

(iv) “मिलीभगत वाला व्यवहार” का अर्थ है दो अथवा अधिक पक्षों के बीच ऐसी व्यवस्था, जो किसी अनुचित प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए की गई हो, जिसमें किसी अन्य पक्ष की कार्रवाइयों को अनुचित रूप से प्रभावित करना भी शामिल है।

(ख) यदि वह यह निर्धारित करता है कि कार्य आबंटन हेतु अनुशंसित एजेंसी ने प्रश्नगत सूचीकरण के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय निषिद्ध व्यवहार में संलिप्तता रखी है, तो वह आबंटन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा।

(ग) यदि बैंक किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि एजेंसी ने सूचीकरण के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय अथवा संविदा के निष्पादन में निषिद्ध व्यवहार में संलिप्तता रखी है, तो वह उक्त एजेंसी को अनिश्चितकालीन रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए अपात्र घोषित कर सकता है।

10.2 इसके अतिरिक्त, आवेदकों को खंड II (संविदा की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें) में दिए गए उपबंधों की जानकारी होनी चाहिए

11) आरएफई दस्तावेज़ का स्पष्टीकरण

इस दस्तावेज़ के किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आवेदक इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ईमेल पते पर बैंक से लिखित रूप में संपर्क करें अथवा 26 मई, 2026 तक पूछताछ करें
ईमेल-आईडी: allotmentranchi@rbi.org.in

12) बोली-पूर्व बैठक

बोली-पूर्व बैठक का औपचारिक रूप से आयोजन एवं संचालन सूचीकरण प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात तथा मूल्य-बोली प्रस्तुतीकरण चरण के आरंभ से पूर्व किया जाएगा।

अस्वीकरण: मात्र बोली-पूर्व बैठक में भागीदारी से संविदा का आबंटन सुनिश्चित नहीं होगा तथा यह सूचीकरण में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा। बोली-पूर्व बैठक में भागीदारी पूर्णतः स्वैच्छिक है तथा इसमें भाग लेने हेतु सभी व्यवस्थाएँ इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा स्वयं की जानी होंगी। बोली-पूर्व

बैठक केवल संपूर्ण सूचीकरण के किसी भी उपबंध पर बैंक के प्रामाणिक/अधिकृत स्रोत से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का एक मंच है, और बैंक किसी भी परिस्थिति में नियमों एवं शर्तों में किसी प्रकार की छूट के दावों को हतोत्साहित करता है। बैठक की तिथि एवं समय में परिवर्तन हो सकता है। बैंक, यदि आवश्यक समझे, अपने विवेक से बोली-पूर्व बैठक को रद्द कर सकता है।

13) आरएफई दस्तावेज़ में संशोधन

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी समय, बैंक भारिबैं वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है, और इसका समाचार-पत्र में प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

13.2 जारी किए गए कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र इस दस्तावेज़ का हिस्सा होंगे।

13.3 भावी आवेदकों को अपने आवेदन तैयार करते समय किसी/सभी संशोधनों/शुद्धिपत्रों पर विचार करने के लिए उचित समय देने हेतु, बैंक अपने विवेक से, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का विस्तार कर सकता है।

14) आबंटन मानदंड

बैंक के पास किसी भी आवेदन को स्वीकार करने अथवा किसी अथवा सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

15. करार/संविदा से संबंधित अथवा उससे उत्पन्न होने वाले सभी विधिक वाद, कार्रवाइयाँ अथवा कार्यवाहियाँ केवल राँची स्थित न्यायालयों/अधिकरणों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगी।

<u>खंड II: संविदा की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें</u>

A	**संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी)**	
1	1.1	एजेंसी आवेदन प्रारूप, सूचीकरण हेतु आमंत्रण में बैंक द्वारा बताए गए स्रोत से प्राप्त करेगी; अन्यथा सूचीकरण दस्तावेज़ की पूर्णता के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
2	2.1	सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
	2.2	उद्धृत दरों के अंकों एवं शब्दों में किसी भी अंतर की स्थिति में, आवेदन के मूल्यांकन हेतु शब्दों में उल्लिखित दर पर विचार किया जाएगा।
3	3.1	एजेंसी से अपेक्षा है कि आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व वह सूचीकरण दस्तावेज़ में दिए गए सभी अनुदेशों, प्रपत्रों, शर्तों एवं विशिष्टताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं समझें।
	3.2	सूचीकरण दस्तावेज़ द्वारा अपेक्षित सभी/किसी सूचना अथवा दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने पर आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।

4	4.1	उद्धृत मूल्य में केवल बीमा शुल्क, वर्दी शुल्क तथा केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथालागू वर्तमान अथवा भविष्य में आरोपित किए जाने वाले अन्य कोई कर/शुल्क/उपकर शामिल होंगे, जिनके लिए कोई अलग दावा नहीं किया जाएगा।
	4.2	कार एजेंसी का जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य है। आरसीएम के अंतर्गत पंजीकृत कार किराया एजेंसी/कंपनी आरसीएम के अंतर्गत बिल प्रस्तुत करेगी ताकि जीएसटी का भुगतान बैंक द्वारा स्वयं किया जा सके।
	4.3	एजेंसी का पूर्व-वृत्त (ट्रैक रिकॉर्ड) किसी अवैध गतिविधि अथवा वित्तीय धोखाधड़ी में संलिप्तता के बिना स्वच्छ होना चाहिए। एकल स्वामित्व/भागीदारी फर्म/कंपनी की स्थिति में, एजेंसी अथवा एकल स्वामियों/भागीदारों/निदेशकों के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय/विनियामक प्राधिकरणों के पास ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए।
	4.4	किसी प्राधिकरण द्वारा किसी सांविधिक विधि के उल्लंघन के लिए एजेंसी पर कोई अभियोजन नहीं चलाया गया हो अथवा कोई दंड न लगाया गया हो। भारत में किसी स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक सहित किसी भी संगठन द्वारा, किसी भी आधार पर, एजेंसी को निलंबित/सूची से हटाया गया/काली सूची में डाला गया/प्रतिबंधित नहीं किया गया हो अथवा उसके विरुद्ध ऐसी कोई प्रक्रिया आरंभ न की गई हो (इस संबंध में लेटर हेड पर स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाए)।
	4.5	एजेंसी ने अपने किसी ग्राहक द्वारा प्रदत्त किसी संविदा को संविदा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व रद्द/परित्याग न किया हो। एजेंसी अपने ग्राहकों के साथ हुए सभी विवादों का विवरण देगी तथा उनकी वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करेगी।
B.	**अनर्हता/आवेदन की अस्वीकृति की ओर ले जाने वाली परिस्थितियाँ**	
5	5.1	एजेंसी द्वारा अथवा उसकी ओर से अपने चयन के संबंध में कोई याचना/प्रचार करना अथवा राजनीतिक अथवा अन्य बाहरी प्रभाव लाने का प्रयास करना प्रक्रिया से अनर्हता का कारण होगा। ऐसे आवेदक/आवेदकों को अगले तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाला जाएगा। यदि ऐसे उदाहरण चयन प्रक्रिया के दौरान अज्ञात रहते हैं किंतु बाद में पता चलते हैं, तो ऐसी अनर्हता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।
	5.2	सभी आवेदन सभी अनुलग्नकों/संलग्नकों/अनुबंधों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र, अथवा निर्धारित प्रारूप से भिन्न किसी प्रारूप में प्राप्त बोलियाँ, अथवा समुचित दस्तावेज़ी प्रमाण के बिना प्राप्त बोलियाँ आदि बैंक द्वारा सीधे एवं संक्षेप में अस्वीकार कर दी जाएँगी।
	5.3	फैक्स अथवा ईमेल अथवा निर्दिष्ट के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे तथा संक्षेप में अस्वीकार कर दिए जाएँगे। इस मामले पर कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
	5.4	नियत तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन संक्षेप में अस्वीकार कर दिए जाएँगे।

	5.5	सशर्त आवेदन सीधे अस्वीकार कर दिए जाएँगे तथा किसी अतिरिक्त खंड पर विचार नहीं किया जाएगा।
	5.6	सूचीकरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद किसी आवेदन में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
	5.7	वैकल्पिक प्रस्ताव/प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के विस्तार हेतु अनुरोध की अनुमति नहीं होगी।
C	**भुगतान की शर्तें**	
6	6.1	बैंक के नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के मामलों को छोड़कर, मासिक अंतराल पर प्राप्त पूर्ण एवं स्पष्ट बिलों का भुगतान, स्पष्ट एवं पूर्ण बिलों की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर तथा पैंतालीस दिनों से अधिक के बाद नहीं किया जाएगा।
	(a)	भारतीय विधियों के अनुसार, यथालागू कर स्रोत पर काटे जाएँगे तथा एजेंसी को इसके लिए प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
	(b)	जारी किए गए चालान/बिल क्रमवार संख्यांकित होने चाहिए तथा उनमें एजेंसी का नाम एवं पता, सेवा का विवरण, उस पर देय करों का मूल्य आदि होना चाहिए। किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
	(c)	बिलों पर बैंक द्वारा भुगतान किए गए करों को संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को प्रेषित करना एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।
	6.2	सभी भुगतान केवल एनईएफटी/आरटीजीएस चैनल के माध्यम से जारी किए जाएँगे, जिसके लिए आवश्यक खाता विवरण बैंक को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
	6.3	एजेंसी द्वारा प्राप्त भुगतान के संबंध में किसी आपत्ति को भुगतान की तिथि से 10 दिनों के भीतर बैंक के संज्ञान में लाया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।
D	**संविदा के आबंटन के पश्चात पूरी की जाने वाली आवश्यक अपेक्षाएँ**	
7	7.1	सफल एजेंसी/एजेंसियाँ निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेंगी अथवा एनईएफटी के माध्यम से जमा करेंगी।
	7.2	सफल एजेंसी/एजेंसियों एवं बैंक के बीच करार पर न्यूनतम दरों की स्वीकृति की लिखित पुष्टि के 15 दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए जाएँगे। करार दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा। बैंक मूल प्रति अपने पास रखेगा तथा एजेंसी को द्वितीय प्रति दी जाएगी। स्टांप शुल्क एजेंसी द्वारा वहन एवं भुगतान किया जाएगा।
	7.3	एजेंसी एवं उसके कर्मचारी/चालक बैंक से संबंधित ऐसी कोई भी सूचना, जो उचित रूप से बैंक की निजी अथवा स्वामित्वगत समझी जा सकती है, जिसका प्रकटन उचित रूप से बैंक को किसी भी प्रकार से हानि पहुँचाने वाला हो सकता है, और जो एजेंसी और/अथवा उसके कर्मचारियों/चालकों ने प्राप्त की है, बैंक के प्राधिकार के अथवा विधि की अपेक्षा के अतिरिक्त, किसी प्रयोजन हेतु प्रकट, उद्घाटित, उद्घाटन अथवा उपयोग नहीं करेगी। एजेंसी एवं उसके

		कर्मचारियों/चालकों पर यह दायित्व करार की अवधि के दौरान तथा करार की अवधि के पश्चात अनिश्चितकाल तक लागू होगा। एजेंसी एवं उसके कर्मचारी/चालक बैंक के अवसंरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबंधित किसी भी ऐसी सूचना एवं विवरण को, जो इस सूचीकरण के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान उनके अधिकार में अथवा जानकारी में आ सकती है, किसी तृतीय पक्ष को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेंगे तथा हर समय इसे अत्यंत गोपनीय रखेंगे। वह संविदा के विवरणों को निजी एवं गोपनीय मानेगी, सिवाय उस सीमा तक जो उसके अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन हेतु अथवा लागू विधियों के अनुपालन हेतु आवश्यक हो। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी व्यापार अथवा तकनीकी पत्र-पत्रिका अथवा अन्यत्र कार्यों के किसी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित होने की अनुमति नहीं देगा अथवा प्रकट नहीं करेगा। किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी हानि के लिए एजेंसी को क्षतिपूर्ति देगी। उपर्युक्त का पालन न करना संविदा का उल्लंघन माना जाएगा तथा बैंक नुकसान का दावा करने एवं विधिक उपाय अपनाने का हकदार होगा।
E	**सांविधिक अपेक्षाओं का पालन**	
8	8.1	समय-समय पर लागू विनियमों, अर्थात केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस अधिनियम, नियोक्ता दायित्व अधिनियम, संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम तथा राज्य एवं केंद्र सरकार के श्रम लाइसेंस का अनुपालन एजेंसी की पूर्ण एवं एकमात्र ज़िम्मेदारी होगी। इस संबंध में, एजेंसी सभी दावों के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति देगी तथा विधि एवं सरकारी नियमों के अनुसार अनिवार्य आवश्यक बहियाँ, लॉग, रजिस्टर, सत्यापन, विवरणी, रसीदें, कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस आदि बनाए रखेगी तथा यथापेक्षित संबंधित सरकारी अधिकारी/श्रम प्रवर्तन अधिकारी/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आदि को निरीक्षण/सत्यापन हेतु उपलब्ध कराएगी। ऐसे सभी अनुपालनों, विवरणों एवं सांविधिक प्राधिकरणों को किए गए भुगतानों आदि की प्रति, पंजीकरण संख्या सहित, यथापेक्षित सत्यापन एवं अभिलेख हेतु बैंक प्राधिकारी को प्रदान की जाएगी।
F	**लैंगिक उत्पीड़न का निवारण**	
9	9.1	“कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013” के उपबंधों के पूर्ण अनुपालन के लिए एजेंसी एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगी। बैंक के परिसर में, बैंक द्वारा किराए पर लिए गए परिसर में अथवा किराए पर लिए गए वाहन में, वाहन के उपयोग/किराए की अवधि के दौरान एजेंसी के कर्मचारी के विरुद्ध बैंक के स्टाफ सदस्यों/बैंक सहित किसी से भी लैंगिक उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में, शिकायत एजेंसी

		द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी तथा एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
	9.2	एजेंसी के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की किसी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।
	9.3	यदि घटना में एजेंसी के कर्मचारी संलिप्त हैं, तो एजेंसी किसी मौद्रिक प्रतिकर के लिए ज़िम्मेदार होगी, जिसका भुगतान किया जाना अपेक्षित हो सकता है, उदाहरणतः बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि एजेंसी के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा सिद्ध होती है।
	9.4	एजेंसी अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण एवं संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने हेतु उत्तरदायी होगी।
G	**बैंक के अधिकार**	
10	10.1	बैंक के पास सूचीकरण उपलब्धता की अवधि और/अथवा बोलियों के खोलने की तिथि का विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित है।
	10.2	बैंक के पास, बिना कोई दायित्व लिए अथवा कोई कारण बताए, किसी/सभी आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा सूचीकरण प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
	10.3	बैंक के पास, बिना कोई कारण बताए, कार्य के दायरे को एक से अधिक एजेंसी/एजेंसियों में विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित है। इस आधार पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
	10.4	इसमें निर्दिष्ट नियम एवं शर्तें सांकेतिक प्रकृति की हैं तथा ये बैंक को सफल बोलीदाता के साथ करार निष्पादित करने के समय ऐसी अन्य अथवा आगे की शर्तें आरोपित करने अथवा बोलीदाता से उन पर सहमत होने की अपेक्षा करने से, अथवा इसमें निहित नियमों एवं शर्तों को इस सूचीकरण के अंतर्गत आबंटित किए जा रहे कार्य के सम्यक एवं समुचित निष्पादन हेतु आवश्यक समझे जाने के अनुसार परिवर्तित, संशोधित अथवा लोप करने से नहीं रोकेंगी।
	10.5	सेवा प्रदाता अथवा उसके अभिकर्ता/कर्मचारी/चालक, जो इसमें उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का कोई उल्लंघन करते हैं और/अथवा बैंक की राय में असंतोषजनक सेवाएँ प्रदान करते हैं, स्वयं को दंड और/अथवा बिना किसी सूचना अथवा उसके बदले किसी प्रतिकर के तत्काल करार समाप्ति का दायी बनाएँगे।
	10.6	उपर्युक्त पर पूर्वाग्रह के बिना, करार की अवधि के दौरान, करार को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है।
H	**विवाद समाधान**	
11	11.1	करार के अंतर्गत किसी भी प्रकार के सभी विवाद एवं मतभेद एकमात्र मध्यस्थ अर्थात क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची को निर्देशित किए जाएँगे तथा उनका लिखित निर्णय सेवा प्रदाता पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। तथापि,

		मध्यस्थता के माध्यम से अनिराकृत किसी विवाद/मामले के लिए, विधिक क्षेत्राधिकार केवल राँची होगा।
	11.2	सेवा प्रदाता करार की अवधि के दौरान किराए पर ली गई कार/कारों के कारण तृतीय पक्ष (व्यक्तियों अथवा भवन आदि) और/अथवा बैंक के अधिकारियों/अतिथियों, बैंक की संपत्ति को होने वाली किसी भी हानि अथवा क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देगा। बैंक के पास हानि और/अथवा क्षति की राशि को सेवा प्रदाता के बिल से वसूल करने का अधिकार सुरक्षित है।
I	**अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर)**	
12	12.1	इस दस्तावेज़ में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के बावजूद, यदि कोई पक्ष इसके अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन में किसी विलंब का कारण उसके उचित नियंत्रण से परे की परिस्थितियाँ हैं [जिनमें परिसीमा के बिना सरकारों के कृत्य, ईश्वरीय कृत्य, प्राकृतिक अथवा सामाजिक आपदाएँ, हड़तालें, किसी क्षेत्र में दंगे, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित एवं अघोषित) के कारण होने वाला कोई विलंब शामिल है], तो वह पक्ष इसके लिए दायी नहीं होगा; तथापि बशर्ते कि इस प्रकार विलंब करने वाले पक्ष के आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया कोई विलंब उस पक्ष को विलंब के दायित्व से मुक्त नहीं करेगा, सिवाय जहाँ ऐसा विलंब संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से परे हो।
J	**अस्वीकरण**	
13	13.1	यद्यपि इस दस्तावेज़ को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, तथापि एजेंसी स्वयं इस बात से संतुष्ट हो लेगी कि दस्तावेज़ सभी प्रकार से पूर्ण है। किसी विसंगति की सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जाएगी। यदि एनआईटी की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर किसी एजेंसी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज़ सभी प्रकार से पूर्ण है।
	13.2	बैंक के पास सभी प्रारूपों एवं अनुबंधों सहित इस दस्तावेज़ को संशोधित, परिवर्तित अथवा अनुपूरित करने का अधिकार सुरक्षित है।
	13.3	यद्यपि यह दस्तावेज़ सद्भाव में तैयार किया गया है, तथापि न तो बैंक और न ही उनके कर्मचारी अथवा सलाहकार इसमें निहित किसी कथन अथवा चूक, अथवा सूचना की यथार्थता, पूर्णता अथवा विश्वसनीयता के संबंध में कोई व्यक्त अथवा विवक्षित अभ्यावेदन अथवा प्रत्याभूति देते हैं, अथवा कोई भी ज़िम्मेदारी अथवा दायित्व स्वीकार करते हैं; तथा वे इस दस्तावेज़ की यथार्थता, विश्वसनीयता अथवा पूर्णता के संबंध में किसी विधि, संविधि, नियम अथवा विनियम के अंतर्गत कोई दायित्व नहीं लेंगे, भले ही उनकी ओर से किसी कार्य अथवा चूक से कोई हानि अथवा क्षति होती हो।
	13.4	दस्तावेज़ के हिंदी एवं अंग्रेज़ी संस्करणों के बीच अर्थ के विरोध की स्थिति में, अंग्रेज़ी संस्करण की व्याख्या मान्य होगी।
K	**गोपनीयता कथन**	

14	14.1	इस सूचीकरण दस्तावेज़ में अंतर्विष्ट अथवा बाद में बैंक द्वारा अथवा उसकी ओर से अथवा उसके किसी कर्मचारी द्वारा एजेंसी(यों) को मौखिक रूप से अथवा दस्तावेज़ी रूप में प्रदान की गई सूचना, इस सूचीकरण दस्तावेज़ में दिए गए नियमों एवं शर्तों तथा अन्य सभी नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी, जिनके अधीन ऐसी सूचना प्रदान की गई है।
	14.2	इस सूचीकरण दस्तावेज़ का प्रयोजन एजेंसी(यों) को उनके प्रस्तावों को तैयार करने में सहायता हेतु सूचना प्रदान करना है।
	14.3	इस सूचीकरण दस्तावेज़ में वह सभी सूचना अंतर्विष्ट होने का दावा नहीं किया गया है जो प्रत्येक एजेंसी द्वारा अपेक्षित हो सकती है।
	14.4	यह सूचीकरण दस्तावेज़ सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है तथा बैंक और/अथवा उसके कर्मचारियों के लिए यह संभव नहीं है कि वे इस सूचीकरण दस्तावेज़ को पढ़ने अथवा उपयोग करने वाले प्रत्येक बोलीदाता के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति एवं विशेष आवश्यकताओं पर विचार कर सकें।
	14.5	प्रत्येक एजेंसी अपनी स्वयं की जाँच एवं विश्लेषण करेगी तथा इस सूचीकरण दस्तावेज़ में सूचना की यथार्थता, विश्वसनीयता एवं पूर्णता की जाँच करेगी एवं जहाँ भी आवश्यक हो, उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करेगी।
	14.6	बैंक एवं कर्मचारी सूचीकरण दस्तावेज़ की यथार्थता, विश्वसनीयता अथवा पूर्णता के संबंध में कोई अभ्यावेदन अथवा प्रत्याभूति नहीं देते हैं तथा किसी विधि, संविधि, नियम अथवा विनियम के अंतर्गत कोई दायित्व नहीं लेंगे।
	14.7	यह दस्तावेज़ एवं उसमें प्रदान की गई सूचना गोपनीय है तथा एकमात्र रूप से एजेंसी(यों) के उपयोग हेतु आशयित है।
L	**बीमा**	
15	15.1 सफल एजेंसी संविदा मूल्य के लिए एक वर्ष के लिए “वाणिज्यिक वाहन पॉलिसी" लेगी, जो बाद में, यदि बैंक द्वारा संविदा का नवीकरण किया जाता है, नवीकरणीय होगी। संविदा की अवधि के दौरान व्यक्तियों अथवा भवन अथवा तृतीय पक्ष को होने वाली किसी भी हानि अथवा क्षति के लिए एजेंसी बैंक को क्षतिपूर्ति देगी। यदि एजेंसी ये पॉलिसियाँ प्रदान नहीं करती है, तो बैंक के पास हानि अथवा क्षति की लागत को एजेंसियों के बिल से वसूल करने का अधिकार सुरक्षित है।	
M	**दरें**	
16	16.1	एजेंसी द्वारा प्रस्तुत तथा बैंक द्वारा स्वीकृत दरें एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगी, उसके पश्चात उन्हें संविदा के नवीकरण के समय, नवीकरण के समय की प्रचलित परिस्थितियों, अर्थात श्रम विधियों में कोई बड़े परिवर्तन अथवा ईंधन मूल्यन को प्रभावित करने वाला सरकारी निर्णय आदि, के आधार पर, समीक्षित किया जा सकता है। तथापि, यह केवल क्षेत्रीय निदेशक, भारिबैं, राँची की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
N	**अप्रकटन**	

17	17.1	एजेंसी बैंक की संरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबंधित किसी भी सूचना अथवा सामग्री एवं विवरण को, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान एजेंसी के अधिकार में अथवा जानकारी में आ सकती है, किसी तृतीय पक्ष को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगी तथा हर समय इसे अत्यंत गोपनीय रखेगी। एजेंसी संविदा के विवरणों को निजी एवं गोपनीय मानेगी, सिवाय उस सीमा तक जो उसके अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन हेतु अथवा लागू विधियों के अनुपालन हेतु आवश्यक हो। एजेंसी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी व्यापार अथवा तकनीकी पत्र-पत्रिका अथवा अन्यत्र कार्यों के किसी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगी, प्रकाशित होने की अनुमति नहीं देगी अथवा प्रकट नहीं करेगी। किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुई किसी हानि के लिए एजेंसी बैंक को क्षतिपूर्ति देगी। उपर्युक्त का पालन न करना एजेंसी की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा तथा बैंक नुकसान का दावा करने एवं विधिक उपाय अपनाने का हकदार होगा। एजेंसी अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी समुचित कार्रवाइयाँ करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के अंतर्गत गोपनीय सूचना के अप्रकटन के दायित्व पूर्णतः पूरे हों। एजेंसी का अप्रकटन एवं गोपनीयता के संबंध में दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति अथवा अवसान के पश्चात भी जारी रहेगा।
O	**विक्रेता का दिवालियापन अथवा मृत्यु:**	
18	18.1	विक्रेता के दिवालिया घोषित किए जाने अथवा स्वैच्छिक रूप से समापन में जाने अथवा उसके विरुद्ध, अथवा कंपनी के नाम में, दिवाला अधिनियम के अंतर्गत आदेश अथवा अन्य आदेश प्राप्त किए जाने, अथवा स्वैच्छिक रूप से अथवा अन्यथा समापन हेतु कोई संकल्प पारित किए जाने अथवा कोई आदेश किए जाने की स्थिति में, अथवा एजेंसी के यहाँ निर्दिष्ट किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के संविदा को समाप्त करने की शक्ति होगी। बैंक की लिखित सहमति के बिना, विक्रेता की मृत्यु की स्थिति में, उसके वारिसों/प्रतिनिधियों को विक्रेता के अथवा संविदा के अंतर्गत कर्तव्यों अथवा वचनबद्धताओं को निष्पादित करना जारी रखने का अधिकार नहीं होगा। उक्त सहमति के साथ विक्रेता द्वारा अपना व्यवसाय अंतरित करने की स्थिति में, तथा विक्रेता के कंपनी होने एवं इस संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय अपने व्यवसाय को किसी व्यक्ति अथवा कंपनी को अंतरित करने के प्रयोजन एवं उद्देश्य से समापन में जाने की स्थिति में, विक्रेता इस संपत्तियों एवं व्यवसाय के अंतरण हेतु संविदा की एक शर्त एवं वचनबंध बनाएगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी इस संविदा के अंतर्गत विक्रेता के कर्तव्यों अथवा वचनबद्धताओं को निष्पादित करना जारी रखेगा/रखेगी तथा उसके अंतर्गत उसके दायित्वों के अधीन होगा/होगी। मृत्यु का प्रमाण एवं इस आशय के अन्य सुसंगत दस्तावेज़ बैंक को लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाएँगे।

		इस संविदा के अंतर्गत किसी भी अधिकार अथवा उपाय पर पूर्वाग्रह के बिना, एकल स्वामित्व उद्यम की स्थिति में यदि विक्रेता की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक के पास विधिक वारिसों को बिना किसी प्रतिकर के संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा, जो संविदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
P	**निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में संविदा समाप्त हुई समझी जाएगी**	
19	19.1	संविदा अवधि की समाप्ति पर अथवा **खंड III** के अंतर्गत समाप्ति पर। (अथवा)
	19.2	संविदा की अवधि के दौरान बैंक द्वारा किसी भी समय दी गई सूचना की समाप्ति पर, यदि एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं तथा सेवाओं के लिए निर्धारित सामान्य मानदंडों एवं मानक के अनुरूप नहीं हैं। (अथवा)
	19.3	एजेंसी द्वारा संविदा के किसी भी नियम एवं शर्त के उल्लंघन पर। (अथवा)
	19.4	एजेंसी द्वारा संविदा अथवा उसके किसी भाग अथवा उसमें अथवा उसके अंतर्गत किसी लाभ अथवा हित को किसी तृतीय व्यक्ति को समनुदेशित करने पर, संविदा के संपूर्ण अथवा किसी भाग को किसी तृतीय व्यक्ति को उप-पट्टे पर देने पर। (अथवा)
	19.5	एजेंसी/कंपनी को सक्षम विधि-न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किए जाने पर।
20.		संविदा की समाप्ति हेतु सूचना अवधि के दौरान, एजेंसी सूचना अवधि की समाप्ति तक अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करती रहेगी। किसी भी आधार पर संविदा की समाप्ति पर एजेंसी द्वारा तैनात सभी व्यक्तियों को हटाना तथा यह सुनिश्चित करना एजेंसी का कर्तव्य होगा कि कोई व्यक्ति बैंक को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की कोई बाधा/रुकावट/समस्या उत्पन्न न करे।

खंड III: संविदा की विशिष्ट शर्तें (एससीसी)

<u>भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) को कारें उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कार्य का व्यापक दायरा, संविदा की विशिष्ट शर्तें एवं दिशानिर्देश:</u>

1	1.1	चयनित सूचीबद्ध एजेंसी/एजेंसियाँ बैंक/बैंक द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जब भी अपेक्षा की जाए, कार/एसयूवी आदि जैसे वाहन (एसी सहित) उपलब्ध कराएँगी।
	1.2	सेवा प्रदाता बैंक की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त प्रकार के वाहन, अर्थात सेडान, एसयूवी आदि, जिनके पास टैक्सी परमिट हो, उपलब्ध कराएगा।
	1.3	बैंक को उपलब्ध कराए जाने वाले सभी वाहनों के पास स्थानीय रूप से तथा संपूर्ण भारत में यात्रा करने हेतु वैध परमिट तथा अन्य सभी सांविधिक अनुपालन पूरे होने चाहिए।
	1.4	सभी वाहन साफ-सुथरी अपहोल्स्ट्री के साथ अच्छी एवं उचित स्थिति में होने चाहिए। सभी वाहनों में दो 500 मि.ली. पानी की बोतलें, चालू दिन का अंग्रेज़ी समाचार-पत्र, केस/पाउच में फेस टिशू पेपर, छाता एवं प्राथमिक चिकित्सा पेटी, अग्निशामक यंत्र एवं मोबाइल चार्जर, सैनिटाइज़र एवं टिशू पेपर होने चाहिए। उपर्युक्त के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।
2	2.1	चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो ट्रैफिक कर्मियों द्वारा माँगे जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस का समय-समय पर नवीकरण करना सेवा प्रदाता की एकमात्र ज़िम्मेदारी होगी।
	2.2	तैनात किए गए चालकों को अच्छे ड्राइविंग रिकॉर्ड के साथ उचित अनुभव होना चाहिए, वे सुसंस्कृत आचरण वाले होने चाहिए तथा अंग्रेज़ी, हिंदी एवं स्थानीय भाषाओं में बातचीत करने में सक्षम होने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर वह मार्ग में वाहनों की छोटी-मोटी मरम्मत करने में सक्षम होना चाहिए। चालक को माँगने पर अतिथि को मोबाइल नंबर देना चाहिए।
	2.3	चालकों को साफ वर्दी में तथा निर्धारित समय पर ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए। वे दैनिक आधार पर माइलेज का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेंगे तथा उसे उपयोगकर्ता (अधिकारी/स्टाफ) से प्रमाणित कराएँगे। वे यात्रा की गई दूरी/मुक्त किए जाने के समय आदि के पूर्ण विवरण के साथ ड्यूटी पर्चियाँ बनाए रखेंगे, जो अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित होंगी। इसके अतिरिक्त, वे हर समय साफ-सुथरे ढंग से वस्त्र पहने हुए हों तथा विनम्र, शिष्ट एवं सेवा-उन्मुख हों।
	2.4	सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित चालक/कर्मचारी बैंक के सुरक्षा अधिकारियों/गार्डों द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करेंगे तथा वाहनों/व्यक्तियों को यथापेक्षित सुरक्षा जाँच से गुज़रना होगा।
	2.5	चालक उस स्थान पर सदैव उपलब्ध रहेगा जहाँ कार पार्क की गई है तथा सभी यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करेगा।
	2.6	चालक हवाई अड्डे/किसी अन्य स्टेशन पर आगमन कर रहे अतिथि/अधिकारी का विवरण युक्त पट्टिका साथ रखेगा। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि अतिथि(यों) से किसी प्रकार की शिकायत की कोई गुंजाइश न हो।

	2.7	चालक बैंक के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेंगे तथा सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित नियमों एवं विनियमों का भी पालन करेंगे।
	2.8	प्रत्येक वाहन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज़, अर्थात व्यापक बीमा, पंजीकरण, रोड टैक्स, फास्ट-टैग, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र, परमिट, वैध लाइसेंस आदि, प्रत्येक वाहन में/चालकों के पास तत्काल उपलब्ध होने चाहिए।
3	3.1	सेवा प्रदाता फोन/ईमेल पर लिखित अथवा मौखिक अनुदेशों पर उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर टैक्सी उपलब्ध कराएगा। सेवा प्रदाताओं से बैंक की अल्प सूचना पर भी टैक्सी उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी (आपातस्थिति में एक घंटे के भीतर)। यदि परिवहन प्रदाता हमारे फोन पर मौखिक अथवा लिखित अनुरोध पर टैक्सी उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो बैंक परिवहन प्रदाता को परिवहन प्रदाताओं के पैनल से हटाने हेतु स्वतंत्र होगा।
4	4.1	सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराई गई कारें भली-भाँति अनुरक्षित हों, उन पर खरोंच/डेंट न हों तथा वे पुरानी न हों।
	4.2	सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराए गए वाहन पंजीकृत हों तथा समय-समय पर यथासंशोधित मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप हों।
	4.3	सेवा प्रदाता अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों/चालकों के पूर्व-वृत्त के संबंध में **पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र** प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।
	4.4	सेवा प्रदाता अपेक्षा में निर्दिष्ट समय से कम से कम आठ घंटे पूर्व बैंक के कार बुकिंग डेस्क को तथा अतिथि को बुकिंग की पुष्टि (ईमेल एवं एसएमएस द्वारा) बिना चूक के सूचित करेगा, जिसके बाद ईमेल एवं एसएमएस द्वारा कार के विवरण, अर्थात कार का मेक, कार का पंजीकरण सं., चालक का नाम एवं मोबाइल नंबर भेजेगा।
	4.5	बैंक को उपलब्ध कराए गए वाहन के खराब होने की स्थिति में, सेवा प्रदाता के पास आपातकालीन परिवहन/भ्रमण सुविधा प्रदाताओं की व्यवस्था करने की क्षमता होनी चाहिए। खराबी की स्थिति में, वैकल्पिक वाहनों की भी तत्काल व्यवस्था की जाएगी।
	4.6	अत्यंत दुर्लभ मामले में, यदि चालक/कार की अनुपलब्धता के कारण किसी दिन बुक की गई कार उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, तो एजेंसी को तत्परतापूर्वक वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। एजेंसी को बैंक के संबंधित विभाग को परिवर्तनों की सूचना देनी चाहिए। कार की अनुपलब्धता के कारण एजेंसी द्वारा किसी अन्य एजेंसी से कार किराए पर लेने से दोहरा नियंत्रण उत्पन्न होता है, अतः इससे बचा जाना चाहिए।
	4.7	प्रपत्र 1 के अनुसार फीडबैक प्रपत्र एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई कारों/वाहनों में उपलब्ध कराया जाएगा तथा वही अनिवार्य रूप से बिल के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर, बिल राशि के 25% तक का जुर्माना संबंधित बिल से काटा जाएगा।
	4.8	एजेंसी अथवा उसके अभिकर्ता/कर्मचारी/चालक, जो इसमें उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का कोई उल्लंघन करते हैं और/अथवा बैंक की राय में असंतोषजनक सेवाएँ प्रदान करते हैं, स्वयं को एक माह की सूचना देकर तत्काल करार की संक्षिप्त समाप्ति का दायी बनाएँगे।

	4.9	संविदा की समाप्ति हेतु सूचना अवधि के दौरान, एजेंसी सूचना अवधि की समाप्ति तक अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करती रहेगी।
5	**परिसमापन हर्जाना**	
		सेवाओं में कमी तथा बैंक एवं उसके अधिकारियों अथवा उन व्यक्तियों, जिन्हें सेवाएँ उपलब्ध कराने का बैंक निर्देश दे, को पहुँची गंभीर असुविधा के लिए, संबंधित मामले के अनुमानित बिल के 25% से अनधिक जुर्माना लगाया जाएगा। तथापि, बैंक उचित सूचना देने के पश्चात जुर्माना लगाएगा। विवाद की स्थिति में, क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय मामले में अंतिम होगा। बैंक द्वारा रात/प्रातःकाल में जब भी अपेक्षा की जाए, बिना पूर्वाग्रह के टैक्सी/वाहन उपलब्ध कराना एजेंसी/कंपनी की एकमात्र ज़िम्मेदारी होगी। बिना पूर्वाग्रह के, किसी भी विलंब पर बैंक द्वारा यथोचित जुर्माना लगाया जाएगा।
		एजेंसी को अपने वाहन(वाहनों) के खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। विफलता की स्थिति में, एजेंसी इस संबंध में बैंक द्वारा वहन किए गए सभी व्ययों की प्रतिपूर्ति करने हेतु ज़िम्मेदार होगी तथा वही एजेंसी के बिल से काटा जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम तथा प्रचालक पर बाध्यकारी होगा। ऐसी प्रतिपूर्ति उपर्युक्त पैरा (क) के अंतर्गत लगाए गए किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त हो सकती है। जुर्माना एवं प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, एजेंसी के किसी भी लंबित बिल से काटे जाएँगे।
6	**कर**	
	6.1	उद्धृत मूल्यों में सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित सभी कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्थानीय उपकर, संकर्म संविदा कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर आदि शामिल माने जाएँगे। यदि एजेंसी सूचीकरण में ऐसे करों एवं शुल्कों को शामिल करने में विफल रहती है, तो बैंक द्वारा बाद में उसके लिए कोई अलग दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय विधियों के अनुसार, स्रोत पर आयकर काटा जाएगा तथा एजेंसी को इसके लिए प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। बिलों पर बैंक द्वारा भुगतान किए गए करों को संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को प्रेषित करना एजेंसी पर बाध्यकारी होगा। एजेंसी/कंपनी का जारी किए गए चालान पर वैध एवं सक्रिय जीएसटीआईएन होना चाहिए। यदि जीएसटीआईएन सं. की वैधता समाप्त हो गई है, तो उस पर आधारित कोई भी सांविधिक दायित्व एजेंसी की एकमात्र ज़िम्मेदारी होगी। आरसीएम के अंतर्गत पंजीकृत कार किराया एजेंसी आरसीएम के अंतर्गत बिल प्रस्तुत करेगी ताकि जीएसटी का भुगतान बैंक द्वारा स्वयं किया जा सके।
7	**क्षतिपूर्ति**	
	7.1	एजेंसी द्वारा तैनात चालक/चालकों द्वारा संविदा की अवधि के दौरान व्यक्तियों अथवा भवन अथवा तृतीय पक्ष को होने वाली किसी भी हानि अथवा क्षति के लिए एजेंसी बैंक को क्षतिपूर्ति देगी। उपर्युक्त के अभाव में, बैंक के पास बैंक को हुई हानि अथवा क्षति की लागत को एजेंसी के लंबित बिल से वसूल करने का अधिकार सुरक्षित है।
8		एजेंसी की मृत्यु, अशक्तता, दिवालियापन के कारण अथवा किसी अन्य कारण अथवा परिस्थिति के कारण आकस्मिकताओं के उत्पन्न होने की स्थिति में, संविदा

		के दायित्व निम्नलिखित द्वारा उन नियमों एवं शर्तों पर वहन किए जाएँगे, जो बैंक उचित समझे, अर्थात: क. एकल स्वामी की स्थिति में विधिक वारिस। ख. कंपनी अथवा फर्म की स्थिति में, यथास्थिति, अगले निदेशक/भागीदार।
9		इसमें निर्दिष्ट नियम एवं शर्तें सांकेतिक प्रकृति की हैं तथा ये बैंक को सफल बोलीदाता के साथ करार निष्पादित करने के समय ऐसी अन्य अथवा आगे की शर्तें आरोपित करने अथवा बोलीदाता से उन पर सहमत होने की अपेक्षा करने से, अथवा इसमें निहित नियमों एवं शर्तों को इस सूचीकरण के अंतर्गत आबंटित किए जा रहे कार्य के सम्यक एवं समुचित निष्पादन हेतु आवश्यक समझे जाने के अनुसार परिवर्तित, संशोधित अथवा लोप करने से नहीं रोकेंगी।
10		एजेंसी बैंक के अधिकारियों/स्टाफ एवं अतिथियों को कारें उपलब्ध कराते समय उपर्युक्त कार्य के व्यापक दायरे, संविदा की विशिष्ट शर्तों एवं दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु सहमत है।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने एजेंसी के मार्गदर्शन हेतु उपर्युक्त अनुदेशों को पढ़ा एवं समझा है

साक्षी: एजेंसी के हस्ताक्षर:

पता: पता:

तिथि: तिथि:

****

संपर्क व्यक्ति (भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय)

क्र.	संपर्क व्यक्ति	संपर्क विवरण	
		ईमेल	मोबाइल
1	श्री बसंत पॉल मिंज, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची	basantminj@rbi.org.in	9167494362
2	श्री नितिन गौरव, प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची	nitingaurav@rbi.org.in	9455143206
3	श्री अमित कुमार, सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची	amitkumar4@rbi.org.in	8405908938

अनुबंध ।

भारतीय रिज़र्व बैंक,
प्रथम तल, ज़िला परिषद भवन,
कचहरी चौक, राँची

01 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2029 की अवधि के लिए कार किराया एजेंसियों के सूचीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

(आवेदक के लेटर हेड पर दिया जाना है)

एजेंसी का नाम: ____

पता: ____
____

संपर्क सं.: ___________________

क्र.सं.	**विवरण**	
1	संगठन का नाम	
2	(a) संगठन का प्रकार – (एकल स्वामित्व/भागीदारी/एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी)।	
	(ख) स्थापना की तिथि	
	(ग) पंजीकरण का विवरण (फर्म, कंपनी आदि), पंजीकरण प्राधिकारी, तिथि, संख्या आदि (एकल स्वामित्व के मामले में लागू नहीं)।	
	कृपया इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेज़ संलग्न करें।	
3	संगठन के स्वामी/भागीदार/निदेशकों के नाम पदनाम सहित	
4	**पंजीकृत कार्यालय/व्यवसाय का पता:**	
	दूरभाष सं.	
	मोबाइल सं.	
	ईमेल आईडी:	
	(क) क्या राँची में अपना कार्यालय है? (हाँ/नहीं):	
	(ख) राँची स्थित स्थानीय कार्यालय का पता:	

	(ग) अधिकृत अधिकारी का नाम तथा उसका दूरभाष नंबर।	
	कृपया इसके समर्थन में संबंधित दस्तावेज़ संलग्न करें।	
5	**कार्य अनुभव:** पात्रता मानदंडों तथा नियमों एवं शर्तों में अपेक्षा के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण, अनुबंध-I A के अनुसार कार्य आदेशों, दस्तावेज़ों एवं प्रमाण-पत्रों द्वारा समर्थित	
	सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कार/टैक्सी किराया सेवाएँ प्रदान करने के पूर्व अनुभव का विवरण, यदि कोई हो, दस्तावेज़ी प्रमाण सहित भी दिया जाना चाहिए।	
6	क्या विगत तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात वि.व. 2022-23, वि.व. 2023-24 तथा वि.व. 2024-25 का औसत वार्षिक व्यवसाय कारोबार ₹50 लाख है? (हाँ/नहीं) अथवा क्या विगत वर्ष, अर्थात वि.व. 2024-25 का वार्षिक व्यवसाय कारोबार ₹50 लाख है? (हाँ/नहीं)	
	कारोबार के प्रमाण के रूप में सहायक दस्तावेज़ संलग्न किए जाने चाहिए (जहाँ भी लागू हो)।	
7	विगत तीन वित्तीय वर्षों के आयकर विवरणी (आईटीआर) (यथालागू)	
	(क) क्या वि.व. 2022-23 की आईटीआर उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	
	(ख) क्या वि.व. 2023-24 की आईटीआर उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	
	(ग) क्या वि.व. 2024-25 की आईटीआर उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	
	स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाए	
8	क्या संविदा श्रम (वि. एवं उ.) अधिनियम, 1970 तथा संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के अंतर्गत श्रम विभाग के पास पंजीकृत है? क्या एमएसएमई है? (हाँ/नहीं)	
	यदि हाँ, तो पंजीकरण की तिथि बताएँ।	
	प्रमाण-पत्र/पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत की जाए।	
9	बैंकर(रों) का नाम एवं पता (अनुबंध – II):	

	कृपया इस सूचीकरण दस्तावेज़ के साथ संलग्न प्रारूप (अनुबंध – I B) के अनुसार वित्तीय स्थिति के संबंध मे बैंकर से एक प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	
10	कंपनी/एजेंसी के अंतर्गत प्रचालनरत वाहनों की कुल संख्या:	
	उपर्युक्त में से, स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या:	
	उपर्युक्त में से, स्वामित्व वाले नहीं किंतु संविदा के अधीन वाहनों की संख्या:	
	बेड़े में शामिल वाहनों/टैक्सियों की सूची, उनकी आरसी/फिटनेस तथा स्वामित्व वाले परमिट की फोटोकॉपी सहित, अनुबंध III के अनुसार प्रस्तुत की जाए	
11.	क्या संगठन दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है तथा टूर एवं ट्रैवल्स संचालित करने हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र रखता है। (***सहायक दस्तावेज़ संलग्न किए जाने चाहिए***)	
12.	विद्यमान ग्राहकों के नाम एवं पते, पूर्ण विवरण सहित। शीर्ष तीन विद्यमान ग्राहकों से फीडबैक **अनुबंध - IV के अनुसार अपेक्षित है**	
13.	बैंक खाता (आईएफएससी कोड एवं खाता संख्या) जहाँ संगठन द्वारा भुगतान प्राप्त किए जाएँगे।	
14.	पैन एवं जीएसटी विवरण (प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँ)	

हस्ताक्षर नाम:

पदनाम:

तिथि:

टिप्पणी: उपर्युक्त प्रारूप में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन बंद लिफाफों में, जिन पर ऊपर **"कारों/वाहनों की आपूर्ति हेतु कार किराया एजेंसियों के सूचीकरण के लिए आवेदन"** अंकित हो, आरएफई दस्तावेज़ की मद सं. 6 में दर्शाए अनुसार दस्तावेज़ों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रथम तल, ज़िला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची को संबोधित किए जाने चाहिए। प्रश्नों के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें/हमें लिखें – आबंटन अनुभाग, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रथम तल, ज़िला परिषद भवन, कचहरी चौक, राँची, allotmentranchi@rbi.org.in.

भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
राँची
सूचीकरण हेतु अनुरोध (आरएफई)

अनुलग्नक – I A

पिछले 3 वर्षों के दौरान एजेंसी द्वारा निष्पादित समान कार्यों की सूची

क्रम सं.	प्रदत्त सेवा का विवरण	संगठन का नाम एवं पता	उस कर्मचारी/अधिकारी का नाम एवं पता जिनकी देखरेख में सेवाएँ प्रदान की गईं	कुल राशि ₹ में (संपूर्ण वार्षिक संविदा हेतु)	क्या सेवाएँ मूलतः अनुबंधित अवधि के लिए प्रदान की गईं अथवा नहीं	संगठन के साथ व्यवहार के वर्षों की संख्या

अनुलग्नक – I B

अनुसूचित बैंक से बैंकर के प्रमाणपत्र का प्रारूप

(एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

1	फर्म का गठन (साझेदारी / एलएलपी / प्राइवेट लिमिटेड / स्वामित्व / पब्लिक लिमिटेड)	
2	फर्म के स्वामी / साझेदारों / निदेशकों के नाम	
3	पिछले 3 वर्षों हेतु फर्म का कारोबार (वर्षवार ₹ में) (जैसा लागू हो)	
	2024-25	
	2023-24	
	2022-23	
4	फर्म द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा	
5	व्यवहार की प्रकृति एवं उस पर राय	
6	वह अवधि जब से फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	
7	कोई अन्य टिप्पणी	
8	इस संबंध में राय कि क्या पार्टी ₹50 लाख की अनुमानित लागत वाले कार्यों हेतु संविदा सौंपे जाने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम मानी जाती है।	

(हस्ताक्षर)

बैंक शाखा का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. बैंकर के प्रमाणपत्र बैंक के लेटरहेड पर होने चाहिए।
2. प्रमाणपत्र में बैंक के पास दर्ज पार्टी के सभी साझेदारों एवं निदेशकों के नाम सम्मिलित किए जाने हैं।

अनुलग्नक – II

बैंकरों का विवरण

(आवेदक के लेटरहेड पर दिया जाना है)

क्रम	**विवरण**	**बैंकर 1**	**बैंकर 2**
1	शाखा का नाम तथा आईएफएससी एवं ई-मेल आईडी सहित उसका संपूर्ण डाक पता		
2	शाखा प्रबंधक / संबंध प्रबंधक का नाम एवं पदनाम, उनके दूरभाष नंबर एवं ई-मेल आईडी सहित		
3	खाते का प्रकार		
4	खाता संख्या		
5	वह अवधि जब से सेवा प्रदाता बैंकर के साथ बैंकिंग कर रहा है (वर्षों की संख्या निर्दिष्ट करें)।		
6	कोई अन्य सूचना जो सेवा प्रदाता अपने बैंकरों के बारे में देना चाहे।		

अनुलग्नक – III

बेड़े में वाहनों की सूची

(एजेंसी के लेटरहेड पर दिया जाना है)

क्रम	वाहन का निर्माता	पंजी. सं.	मॉडल एवं निर्माण वर्ष	वर्तमान माइलेज

निम्नलिखित दस्तावेज़ी साक्ष्य संलग्न करें:

- पंजीकरण प्रमाणपत्र
- बीमा कागज़ात
- टैक्सी परमिट
- चालकों का लाइसेंस
- कोई अन्य संबंधित दस्तावेज़

एजेंसी के हस्ताक्षर: ______________________

मुहर / स्टांप

दिनांक: ______________________

स्थान: ______________________

अनुलग्नक – IV

कार उपलब्ध कराने वाली फर्म / एजेंसी / कंपनी के निष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र

1. ग्राहक का नाम एवं पता:
2. एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण:
3. संक्षिप्त विवरण सहित कार्य का नाम:
4. करार सं. एवं दिनांक:
5. करार राशि (₹):
6. संविदा प्रारंभ की तिथि:
7. संविदा समाप्ति की तिथि:
8. कार एजेंसी के साथ संबंध की अवधि:
9. फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों की गुणवत्ता:
10. फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए चालकों की गुणवत्ता:
11. फर्म के साझेदारों / स्वामी की सत्यनिष्ठा एवं विश्वसनीयता:
12. प्रदत्त सेवाओं में कमियों के लिए लगाए गए जुर्माने का विवरण (जुर्माना लगाने की तिथि, जुर्माने की राशि एवं कारण):
13. संविदा अवधि के दौरान एजेंसी के साथ हुए विवादों का विवरण:
14. कार एजेंसी द्वारा सेवा की गुणवत्ता पर सामान्य फीडबैक:
15. प्रदत्त कार सेवाओं की रेटिंग: उत्कृष्ट / अति उत्तम / उत्तम / संतोषजनक / निम्न
16. अनुशंसा, यदि कोई हो, अथवा कोई अन्य फीडबैक

(ग्राहक का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फॉर्म 1

कार हायर फीडबैक फॉर्म

क्रम	विवरण	हाँ	नहीं	अन्य टिप्पणियाँ
1	क्या चालक समय पर रिपोर्ट हुआ:			
2	क्या चालक स्वच्छ वेशभूषा में था एवं उसका व्यवहार अच्छा था:			
3	क्या कार स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित थी:			
4	क्या कार में बोतलबंद पेयजल उपलब्ध कराया गया था:			
5	क्या टिशू पेपर उपलब्ध कराया गया था:			
6	क्या समाचार पत्र उपलब्ध कराया गया था:			
7	क्या एसी सही ढंग से कार्य कर रहा था:			
8	क्या आप पुनः उसी एजेंसी का उपयोग करना पसंद करेंगे?			
9	कोई अन्य टिप्पणी:			

अतिथि/ अधिकारी का नाम: ________________________________

पदनाम: ____

कार्यालय: ____

यात्रा की तिथि: ____

ई-मेल आईडी: ______________________________________

मोबाइल नंबर: _____________________________________